डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 30/2025

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा। :–वादी

बनाम

1. श्योराम पुत्र वजीरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. दीवान पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. बलवान सिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 89/82 के मु0 न0 27 के किला न0 21/2, 22/2, मु0 न0 28 के किला न0 24/2, 25/2, मु0 न0 34 के किला न0 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 14/1, 14/2, 15, मु0 न0 35 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल रकबा 3.3520है0 जिसमें नहरी 3.3010है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 श्योराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 राजेन्द्र, प्रतिवादी सं0 2 दीवान व प्रतिवादी सं0 3 बलवानसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/5/25...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 30/2025

अनवान : —

1. राजेन्द्र पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. श्योराम पुत्र वजीरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. दीवान पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. बलवान सिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री श्रवण सहारण वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादी
दिनांकः

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 89/82 के मु0 न0 27 के किला न0 21/2, 22/2, मु0 न0 28 के किला न0 24/2, 25/2, मु0 न0 34 के किला न0 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 14/1, 14/2, 15, मु0 न0 35 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल रकवा 3.3520है0 जिसमें नहरी 3.3010है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। व रोही चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 113/109 के मु0 न0 63 के किला न0 11, 12, 14/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 19/2, 20/1 मु0 न0 64 के किला न0 4, 7, 14, 15, 16/1 कुल रकबा 2.5300है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया ज[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी [illegible] 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 की ओर से [illegible] पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। व[illegible]ने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 8 एनटीआर वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 89/82 के मु0 न0 27 के किला न0 21/2, 22/2,

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु0 न0 28 के किला न0 24/2, 25/2, मु0 न0 34 के किला न0 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 14/1, 14/2, 15, मु0 न0 35 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल रकबा 3.3520है0 जिसमें नहरी 3.3010है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिश नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चुंकि रोही चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 113/109 के मु0 न0 63 के किला न0 11, 12, 14/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 19/2, 20/1 मु0 न0 64 के किला न0 4, 7, 14, 15, 16/1 कुल रकबा 2.5300है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को यथावत रखी जावे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 8 एनटीआर के खाता सं0 89/82 के मु0 न0 27 के किला न0 21/2, 22/2, मु0 न0 28 के किला न0 24/2, 25/2, मु0 न0 34 के किला न0 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 14/1, 14/2, 15, मु0 न0 35 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12 कुल रकबा 3.3520है0 जिसमें नहरी 3.3010है0, गै0 मु0 रास्ता 0.051है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 श्योराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 राजेन्द्र, प्रतिवादी सं0 2 दीवान व प्रतिवादी सं0 3 बलवानसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:46 IST
Reason: SelfAttested